HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE AND MARKETING DEPARTMENT

Notification

The 3rd July, 1998

No. G.S.R. 108/Const./Art. 309/98.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Haryana Horticultural Department (Group B) Service, namely:-

PART 1-GENERAL

Short title & Commencement:

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Horticultural (Group B) Service Rules, 1998.
- (2). They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions:

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires,--
 - (a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
 - (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;
 - (c) "Government "means the Haryana Government in the Administrative Department;
 - (d) "recognised university" means,--
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

- (iii) any other university which is declared by the Government to be recognised university for the purpose of these rules;
- (e)"Institution" means,-
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
- (e) "Service" means the Haryana Horticultural (Group B) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts:

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the service:

- 4(1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is:-
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan; or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
 - (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda, Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No Person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, who is less than 21 years or more than 35 years of age. The minimum and maximum age limit will be determined from the last date for the receipt of applications by the Commission:

Provided that maximum age limit for the officials or employees of Haryana Government, Horticulture Department relaxable upto 45 years.

Appointing authority:

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications:

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment, and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment;

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications:

- 8. No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment:

- 9.(1) The recruitment to the Service shall be made in case of Superintendent Horticulture, Yadvindra Garden, Pinjore, District Horticulture Officer, Superintendent Horticulture, Kishanpura (Jind), Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculture and State Sericulture Officer;
 - (i) $66\frac{2}{3}$ % by promotion from amongst Technical Assistant and Horticulture Development Officer; and
 - (ii) $33\frac{1}{3}\%$ by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.
- (2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.
- (3) As and when any vacancy occurs or is about to occur, unless otherwise provided, the appointing authority shall determine the method by which the same shall be filled in.

Probation:

10 (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise:

Provided that:-

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, in the case of an appointment by transfer, may, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as a period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--
 - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-
 - (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory;
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

- (iii) declare that he has completed his probation period satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if this work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory:-
 - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post, or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period or probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Seniority *inter se* of the members of the services shall be determined by the length of the continuous Service on any post in the service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by the direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of a member appointed by the promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred;
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his

previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to Serve:

- 12.(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
 - (2) A member of the Service may also be deputed to serve under,-
 - (i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or
 - a local authority or university within the State of Haryana;
 - (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an international organisation, autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or clause (iii) except with his consent.

Departmental Examination:

13.(1) Every officer shall be required to pass the departmental examination as shown in Appendix E in Accounts and various other rules and various other rules within the period of two years if appointed by direct recruitment and within a period of one year if appointed otherwise:

Provided that no officer who has been promoted from Group C Service will be required to pass the departmental examination, if he had passed the same with higher standard during his Group C Service:

Provided further that the Government may for reasons to be recorded in writing extend the period for passing the departmental examination by one year:

Provided further that if the officer fails to pass the departmental examination even within the extended period, the Government may for reasons to be recorded in writing exempt such officer from passing the said examination.

- (2) If a member of the Service passes the departmental examination before the prescribed period, he shall be given all the increments which would have otherwise fallen due to him at the end of the prescribed period but were not given due to non passing of departmental examination with effect from the day on which he passed the departmental examination.
- (3) In case any officer is allowed extension in the period within which the said examination is required to be passed his increment for the period within which the departmental examination was to be passed, shall be released only from the date when he passes to departmental examination. The increment shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due but no arrear shall be paid for the past period.
- (4) If any officer falls to pass the departmental examination, and is subsequently exempted by the Government from passing the departmental examination his increment (s) for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed, shall be released from the date he is given such exemption. The increment shall be released with retrospective effect from the date it was otherwise due but no arrears shall be paid for the past period.
- (5) If the officer neither passes the departmental examination within the prescribed period or extended period nor the Government exempts his from passing such examination, his services shall be terminated if appointed by direct recruitment or he shall be reverted to his former appointment if appointed otherwise.

Pay, leave, pension and other matters:

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or

made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, Penalties and Appeals:

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to provisions of any law or rules under Article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination:

16. Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance:

17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation:

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision:

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations:

20. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the order issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings:

21. The Punjab Agricultural Service (Class-II), Rules, 1947, and any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules, is here repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

	APPENDIX-A						
			(See ru	le 3)			
Sr. No.	Designation of posts	Numbe	r of posts	Total	Scale of pay		
		Permanent	Temporary				
1	2	3	4	5	6		
1.	Superintendent, Horticulture, Yadvindra Garden, Pinjore	1	-	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500		
2.	District Horticulture Officer	4	14	8	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500		
3	Superintendent, Horticulture, Kishanpura (jind)	-	1	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500		
4	Fruit Specialist	_	1	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500		
5	Vegetable Specialist	-	1	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500		
6	Floriculturist	_	1	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500		
7	State Sericulture Officer	-	1	1	Rs.6,500-200-8,500-EB-200-10,500		

APPENDIX-B
(See rule 9)

(See rule 9)					
Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment		
1	2	3	4		
1.	Superintendent, Horticulture, Yadvindra Garden, Pinjore	(i) 2 nd class M.Sc. Horticulture from a recognised University; (ii) Hindi upto Matric Standard; OR (i) B.Sc. Agriculture (Hons.) with Horticulture including Floriculture, Promiculture, Olericulture as one of the subjects OR B.Sc. Horticulture; (ii) Five Years practical experience in horticulture development work; (iii) Hindi upto Matric Standard.	BY PROMOTION: Five years experience as Technical Assistant or Seven years experience as Horticulture Development Officer. BY TRANSFER OR DEPUTATION: (i) Two years experience as Superintendent Horticulture, District Horticulture Officer, Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist or State Sericulture Officer, (ii) Hindi upto Matric Standard.		
2.	District Horticulture Officer	(i) 2 nd class M.Sc. Horticulture from a recognised University; (ii) Hindi upto Matric Standard; OR (i) B.Sc. Agriculture (Hons.) with Horticulture including Floriculture, Promiculture, Olericulture or Sericulture as one of the subjects OR B.Sc. Horticulture; (ii) Five Years practical experience in horticulture development work;	Officer. BY TRANSFER OR DEPUTATION: (i) Two years experience as Superintendent Horticulture, District Horticulture Officer, Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist or State Sericulture Officer,		

		(iii) Hindi upto Matric Standard.	
3	Superintendent, Horticulture, Kishanpura (jind)	(i) 2 nd class M.Sc. Horticulture from a recognised University; (ii) Hindi upto Matric Standard;	BY PROMOTION: Five years experience on the post of Technical Assistant or Seven years experience as Horticulture Development Officer.
		OR (i) B.Sc. Agriculture (Hons.) with Horticulture including Floriculture, Promiculture, Olericulture or Sericulture as one of the subjects OR B.Sc. Horticulture; (ii) Five Years practical experience in horticulture development work; (iii) Hindi upto Matric Standard.	(i) Two years experience as Superintendent Horticulture, District Horticulture Officer, Fruit Specialist, Vegetable Specialist, Floriculturist or State Sericulture Officer,
4	Fruit Specialist	(i) 2 nd class M.Sc. Horticulture from a recognised University; (ii) Hindi upto Matric Standard; OR	BY PROMOTION: Five years experience on the post of Technical Assistant or Seven years experience as Horticulture Development Officer.
		(i) B.Sc. Agriculture (Hons.) with Horticulture including Floriculture, Promiculture, Olericulture or Sericulture as one of the subjects OR B.Sc. Horticulture; (ii) Five Years practical experience in horticulture development work; (iii) Hindi upto Matric Standard.	(i) Two years experience as

5	Vegetable	(i) 2 nd class M.Sc.	BY PROMOTION:
3	_		
	Specialist	Horticulture from a	Five years experience as Technical
		recognised University;	Assistant or Seven years experience as
		(ii) Hindi upto Matric	Horticulture Development Officer.
		Standard;	
		OR	BY TRANSFER OR DEPUTATION:
		(i) B.Sc. Agriculture	(i) Two years experience as
		(Hons.) with	Superintendent Horticulture, District
		Horticulture including	Horticulture Officer, Fruit Specialist,
		Floriculture,	Vegetable Specialist, Floriculturist or
		Promiculture,	State Sericulture Officer,
		Olericulture or	(ii) Hindi upto Matric Standard.
		Sericulture as one of	(ii) Timul upto Wattie Standard.
		the subjects OR B.Sc.	
		_	
		Horticulture;	
		(ii) Five Years	
		practical experience in	
		horticulture	
		development work;	
		(iii) Hindi upto Matric	
		Standard.	
6	Floriculturist	(i) 2 nd class M.Sc.	BY PROMOTION:
		Horticulture from a	Five years experience as Technical
		recognised University;	Assistant or Seven years experience as
		(ii) Hindi upto Matric	Horticulture Development Officer.
		Standard;	1
		OR	BY TRANSFER OR DEPUTATION:
		(i) B.Sc. Agriculture	(i) Two years experience as
		(Hons.) with	Superintendent Horticulture, District
		Horticulture including	Horticulture Officer, Fruit Specialist,
		Floriculture,	Vegetable Specialist, Floriculturist or
		Promiculture,	State Sericulture Officer,
		Olericulture or	(ii) Hindi upto Matric Standard.
		Sericulture as one of	(ii) Tilliai upto Matric Standard.
		the subjects OR B.Sc.	
		Horticulture;	
		(ii) Five Years	
		practical experience in	
		horticulture	
		development work;	
		(iii) Hindi upto Matric	
		Standard.	
7	State Sericulture	(i) 2 nd class M.Sc.	BY PROMOTION:
	Officer	Horticulture from a	Five years experience as Technical
		recognised University;	Assistant or Seven years experience as
		(ii) Hindi upto Matric	Horticulture Development Officer.
		Standard;	1
		OR	BY TRANSFER OR DEPUTATION:
		(i) B.Sc. Agriculture	(i) Two years experience as
		(Hons.) with	Superintendent Horticulture, District
	1	(110113.) WILLI	Supermiciacin Horneulture, District

	Horticulture in	cluding	Horticulture	Officer,	Fruit	Special	ist,
	Floriculture,		Vegetable S	Specialist,	Floric	ulturist	or
1	Promiculture,		State Sericult	ture Office	r,		
	Olericulture	or	(ii) Hindi upt	o Matric S	tandard	1.	
	Sericulture as	one of					
t	the subjects OF	R B.Sc.					
	Horticulture;						
	(ii) Five	Years					
	oractical experi-	ence in					
	norticulture						
	development wo	ork;					
	(iii) Hindi upto	Matric					
	Standard.						

APPENDIX-C

	[See rule 15(1)]					
Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to imposed penalty	Appellate authority	
1	Superintendent, Horticulture, Yadvindra Garden, Pinjore	Government	(1)Minor Penalties (i) Warning with a copy on the personal file	Government	-	
2	District Horticulture Officer		(Character Roll); (ii) Censure; (iii) withholding			
3	Superintendent, Horticulture, Kishanpura (jind)		of promotion; (iv) recovery from pay of the			
4	Fruit Specialist		whole or part of			
5	Vegetable Specialist		any pecuniary loss caused by			
6	Floriculturist		negligence or			
7	State Sericulture Officer		breach of orders to the Central Government or State Government or to a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of			

the Legislature of	
a State;	
(v) withholding	
of increments of	
pay without	
cumulative	
effect;	
(2) Major	
penalties	
(i) withholding of	
increments of pay	
with cumulative	
effect;	
(vi) reduction to a	
lower stage in the	
time scale of pay	
for a specified	
period with	
further directions	
as to whether or	
not the	
Government	
employee will	
earn increments	
of pay during the	
period of such	
reduction and	
whether on the	
expiry of such	
period the	
reduction will or	
will not have the	
effect of	
postponing the	
future increments	
of his pay;	
(vii) reduction to	
a lower scale of	
pay, grade, post	
or service which	
shall ordinarily	
be a bar to the	
promotion of the	

Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post service; (iv) compulsory retirement (v) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; (vi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX-D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to imposed penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Superintendent, Horticulture, Yadvindra Garden, Pinjore	(1) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing	Government	-
2	District Horticulture Officer	pension; (2) terminating the appointment otherwise than on		
3	Superintendent, Horticulture, Kishanpura (jind)	attaining the age fixed for superannuation.		
4	Fruit Specialist			
5	Vegetable Specialist			
6	Floriculturist			
7	State Sericulture Officer			

APPENDIX-E

(See rule 13)

DEPARTMENTAL EXAMINATION

SYLLABUS:

- (i) Introduction to Government Audit and Accounts Chapter 1, 2, 6, 10 to 20 and 21.
- (ii) Punjab Civil Services Rules, Vol. I, Part-I Chapters I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIV and XV.
- (iii) Punjab Civil Services Rule Vol.II, Chapters I to VII, IX to XII of Part-I, Chapter XIII of Part-II.
- (iv) Punjab Civil Services Rules, Vol. III (Whole of it).
- (v) Financial Hand Book No. I, Treasury and Sub-treasury S.T.R. Volume I (Whole of it) Volume II, Chapter II, III, IV (4.1 to 4.81 and 4.168 to 4.181) and Appendices B and C.
- (vii) Punjab Financial Hand Book No. II, Volume II Appendices 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17 and 19.
- (viii) Punjab Budget Manual, Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13,14 & 15, paragraph 15.5.
- (ix) Accounts code Volume I, Chapter 3, 4, 5 and 11.
 - (i) Number of question papers -----one
 - (ii) Maximum marks -----120
 - (iii) Minimum qualifying marks -----40%Higher Standard
 - (iv) Time allowed ----3 hours
 - (v) Time and date for examination -----As fixed by the

Government from time to time

NASEEM AHMED

Secretary to Government, Haryana Horticulture Department, Chandigarh.

हरियाणा सरकार

उद्यान तथा विपणन् विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जुलाई, 1998

संख्या सा.का.नि.109/संवि./अनुच्छेद/309/98—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप—ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

भाग 1— (सामान्य)

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः

- 1. (1) ये नियम हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप—ख) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं:

- 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
- (क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
- (ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नित या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
- (ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
- (घ) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,-
 - (iv) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
 - (v) 15 अगस्त 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरुप प्राप्त उपाधि, उपाधि—पत्र अथवा प्रमाण—पत्र की दशा में पंजाब, सिंध अथवा ढाका विश्व—विद्यालय: या
 - (vi) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हा;
- (ड़) ''संस्था'' से अभिप्राय है,-

- (iii) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
- (iv) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था।
- (च) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप-ख) सेवा।

भाग II-सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुप:

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित पद होंगे:

परन्तु, इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रुप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्रः

- 4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—
- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजा; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी 1962, से पहले भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो; या
- (ड़) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, युगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के पूर्वी अफीकी देशों से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ड़) से संबंधित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चिरत्र प्रमाण—पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली—भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करें।

आयुः

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम और ब्यालिस वर्ष की आयु से अधिक हो। न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा आयोग द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से निश्चित की जायेगी:

परन्तु हरियाणा सरकार उद्यान विभाग के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष तक होगी।

नियुक्ति प्राधिकारीः

7. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

योग्यताएं:

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त व्यक्तियों की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रुप से विकलांग प्रवर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रुप में कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यताएं:

- 8. कोई भी व्यक्ति,---
- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति / पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंगः

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:--

उद्यान अधीक्षक, यादविन्द्रा बाग, पिंजौर, जिला उद्यान अधिकारी, उद्यान अधीक्षक, किशनपुरा (जीन्द), फल विशेषज्ञ, सब्जी विशेषज्ञ, पुष्प विशेषज्ञ तथा राज्य रेशम अधिकारी की दशा में:—

- (iii) 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत तकनीकी सहायकों या उद्यान विकास अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा; और,
- (iv) 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; अथवा,
- (v) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (3) ज्यों ही कोर्ठ रिक्ति होती है या होने वाली होती है, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चित करेगा कि उसे किस प्रकार से भरा जायेगा।

परिविक्षाः

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तू-

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई हो अवधि परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती ही; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि के रुप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रुप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होन पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

- (2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,—
 - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
 - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—
 - (iii) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (iv) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।
 - (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—
 - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,
 - (iv) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (v) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (vi) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अविध संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या
 - (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,--
 - (iii) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, अथवा यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्ध तथा शर्ते अनुज्ञात करे; या
 - (iv) उसकी परिवीक्षा—अविध बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिविक्षा की प्रथम अविध की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्टताः

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर, उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जायेगीः परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता कम को परिवर्तित नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रुप से निश्चित की जायेगी,——

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नित या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नित द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों की ऐसी नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नित या स्थानान्तरित किये गये थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपने पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्वः

- 12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।
- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:—
 - (iv) कोई कंपनी, संगम या व्याष्टि—निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण हरियाणा राज्य के भीतर, राज्य सरकार के पास है, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय;
 - (v) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व पर नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास है ; अथवा
 - (vi) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास हो अथवा गैर सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमित के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

विभागीय परीक्षाः

13. (1) प्रत्येक अधिकारी से, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, नियुक्ति से दो वर्ष की अविध के भीतर और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया है तो एक वर्ष की अविध के भीतर परिशिष्ट ड में यथादिश्ति लेखे तथा विभिन्न अन्य नियमों में विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा की जायेगी:

परन्तु कोई अधिकारी जो ग्रुप ग सेवा से पदोन्नत हुआ हो उससे विभागीय परीक्षा पास करने की यदि उसने ग्रुप ग सेवा के दौरान उच्च स्तर के साथ परीक्षा पास कर ली हो, अपेक्षा नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि सरकार कारण लिखकर, विभागीय परीक्षा पास करने की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है:

परन्तु यह और है कि यदि अधिकारी बढ़ाई गई अवधि के भीतर भी विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहता है, सरकार कारण लिखकर, ऐसे अधिकारी को उक्त परीक्षा पास करने की छूट दे सकती है।

- (2) यदि, सेवा का काई सदस्य विहित अविध से पहले विभागीय परीक्षा पास कर लेता है तो उसे उसकी वे सभी वेतन वृद्धियां उस तिथि से जिससे वह विभागीय परीक्षा पास कर लेता है, दे दी जायेंगी जो विहित अविध की समाप्ति पर अन्यथा देय हो जाती किन्तु विभागीय परीक्षा पास न कर पाने के कारण उसे नहीं दी गई थी।
- (3) किसी अधिकारी की वह अविध, जिसके भीतर उक्त परीक्षा पास की जानी थी, बढ़ाई जाने की दशा में, उसकी वेतन वृद्धियां उस अविध के लिए जिसके दौरान विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, केवल उस तिथि से दी जायेगी ज बवह विभागीय परीक्षा पास करता है। वेतन वृद्धि भूतलक्षी प्रभाव से, उस तिथि से जिसको यह अन्यथा देय थी दे दी जायेगी, किन्तु पिछली अविध का कोई बकाया नहीं दिया जायेगा।
- (4) यदि , कोई अधिकारी विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहता है, और उसे बाद में सरकार द्वारा विभागीय परीक्षा पास करने की छूट दे दी जाती है, तो जिस अविध के भीतर विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, उसके बाद की अविध के लिए उसे वेतन वृद्धि (वृद्धियां) उस तिथि से दे दी जायेगी जिससे ऐसी छूट दी गई हो। वेतन वृद्धि उसे भूलक्षी प्रभाव से उस तिथि से जिसको वह अन्यथा देय थी, दी जाएगी, किन्तु पिछली अविध के किसी बकाया का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (5) यदि, कोई अधिकारी, विहित अविध या बढ़ाई गई अविध के भीतर विभागीय परीक्षा पास नहीं करता और न ही सरकार, ऐसी परीक्षा पास करने की छूट दी जाती है, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी यदि वह अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामलेः

14. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिसका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियत्रिंत होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलेंः

15. (1) अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगेः

परन्तु ऐसी शस्तियों का स्वरुप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसे शस्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों में परिशिष्ट ग में विर्निदिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम—9 के अधीन उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वहीं होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवानाः

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब भी सरकार किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसा निदेश करें, टीका लगवायेगा और पुनः टीका लगवायेगा।

राज्य निष्ठा की शपथः

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति

18. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्धः

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है।

आरक्षण

20. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों; भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्तिः

21. पंजाब कृषि सेवा (श्रेणी—II) नियम, 1947, और सेवा को लागू कोई नियम और इन नियमों के आरम्भ होने से तुरन्त पहले सेवा को लागू हों इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं:—

परन्तु इस प्रकार निरक्षित नियमों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरुप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

कम	पदनाम	पद	ों की संख्य	या	वेतनमान (रुपये)
संख्या		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	अधीक्षक उद्यान,	1		1	रुपये6500—200—8500—द.रो.
	यादविन्द्रा बाग,				-200-10500
	पिंजौर				
2.	जिला उद्यान	4	14	18	रुपये6500—200—8500—द.रो.
	अधिकारी				-200-10500
3.	उद्यान अधीक्षक,	_	1	1	रुपये6500—200—8500—द.रो.
	किशनपुरा				-200-10500
	(जीन्द)				
4.	फल विशेषज्ञ	_	1	1	रुपये6500—200—8500—द.रो.
					-200-10500
5.	सब्जी विशेषज्ञ	_	1	1	रुपये6500—200—8500—द.रो.
					-200-10500
6.	पुष्प विशेषज्ञ	_	1	1	रुपये6500—200—8500—द.रो.
					-200-10500
7.	राज्य रेशम	_	1	1	रुपये6500—200—8500—द.रो.
	अधिकारी				-200-10500

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

		,	
कम संख्या	पदनाम		सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	अधीक्षक उद्यान	(i) किसी मान्यता प्राप्त	पदोन्नति द्वाराः
		विश्वविद्यालय से बागवानी में	
	पिंजौर	द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी;	तकनीकी सहायक के रुप में पांच
		(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी	वर्ष का अनुभव या उद्यान विकास
		का ज्ञान; या	अधिकारी के रुप में सात वर्ष का
		(i) फलोरिकल्वर,	अनुभव ।
		प्रोमिकल्वर, आलैरीकल्वर	

किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी. एस.सी. (आनस्) या बागवानी में बी.एस.सी.; (ii) बागवानी के विकास कार्यों में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुमव; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; 2. जिला उद्यान अधिकारी (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में हितीय श्रेणी में एम.एस.सी.; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या (i) फलोरिकल्वर, प्रांमिकल्वर, आलेरीकल्वर या सैरीकल्वर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी में बी.एस.सी.; (iii) बागवानी विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (iii) वागवानी विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (iii) वागवानी विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (i) फलोरिकल्वर, प्रांमिकल्वर, आलेरीकल्वर विषयों में से किशानपुरा (जीन्द) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में हितीय श्रेणी में एम.एस.सी.; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (ii) फलोरिकल्वर, प्रांमिकल्वर, आलेरीकल्वर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी. (ii) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (iii) प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में हितीय श्रेणी में एम.एस.सी.; (ii) वसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (iii) प्राप्त वर्ष का अनुभव या उच्चान विकास अधिकारी, एम. प्रं सात वर्ष का अनुभव या उच्चान विकास अधिकारी, एम. प्रं सात वर्ष का अनुभव या उच्चान विकास अधिकारी, एम. प्रं सात वर्ष का अनुभव या उच्चान विकास अधिकारी, एम. विशेषज्ञ सात वर्ष का अनुभव या उच्चान विकास अधिकारी, एम. विशेषज्ञ, सब्बी स्तर वर्ष का अनुभव या उच्चान विकास अधिकारी, एम. वर्ष का अनुभव या उच्चान विकास अधिकारी, एम. वर्ष का अनुभव या उच्चान विकास अधिकारी, एम. वर्ष का अनुभव या उच्चान विकास अधिकारी के रुप में सात वर्ष का अनुभव या उच्चान विकास अधिकारी, एम. वर्ष का अनुभव (iii) उच्चान अधीक्षक, जिला उच्चान विकास अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्बी स्तर वर्ष का अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्बी स्तर वर्ष का अविकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्बी स्तर वर्ष का अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्बी स्तर वर्ष का अविकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्बी स्तर वर्ष का अविकारी, पुष्प विशेषज्ञ सब्वी स्तर वर्ष का अविकारी			या सैरीकल्चर विषयों में से	
2. जिला उद्यान अधिकारी (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या (i) फलोरिकल्वर, प्रोमिकल्वर, आलैरीकल्वर या सैरीकल्वर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी में बी.एस.सी.; (ii) बागवानी विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान 3. उद्यान अधीक्षक, (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (i) फलोरिकल्वर, प्रोमिकल्वर, आलैरीकल्वर या सेरीकल्वर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी.			किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी. एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी.; (ii) बागवानी के विकास कार्यों में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी	(i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव;
3. उद्यान अधीक्षक, (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या (i) फलोरिकल्वर, प्रोमिकल्वर, आलैरीकल्वर या सैरीकल्वर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी.	2.		विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या (i) फलोरिकल्चर, प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर या सैरीकल्चर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी. एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी.; (ii) बागवानी विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी	तकनीकी सहायक के रुप में पांच वर्ष का अनुभव या उद्यान विकास अधिकारी के रुप में सात वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः (i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव;
एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी.; (ii) बागवानी विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	3.		विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या (i) फलोरिकल्चर, प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर या सैरीकल्चर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी. एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी.; (ii) बागवानी विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी	तकनीकी सहायक के रुप में पांच वर्ष का अनुभव या उद्यान विकास अधिकारी के रुप में सात वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः (i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्जी विशेषज्ञ, फल विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव;
	4.	फल विशेषज्ञ	(i) किसी मान्यता प्राप्त	पदोन्नति द्वाराः

		विश्वविद्यालय से बागवानी में	
		द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी;	तकनीकी सहायक के रुप में पांच
		या	वर्ष का अनुभव या उद्यान विकास
		(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी	अधिकारी के रुप में सात वर्ष का
		का ज्ञान; या	अनुभव ।
		(i) फलोरिकल्चर,	_
		प्रोमिकल्वर, आलैरीकल्वर	स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः
		या सैरीकल्वर विषयों में से	(i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान
		किसी एक विषय सहित	अधिकारी, फल विशेषज्ञ, सब्जी
			विशेषज्ञ, पुष्प विशेषज्ञ या राज्य
		बागवानी सहित कृषि में बी.	रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष
		एस.सी. (आनर्स) या	
		बागवानी में बी.एस.सी.	का अनुभव;
		डिग्री;	(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
		(ii) बागवानी के विकास	
		कार्यों में पांच वर्ष का	
		व्यवहारिक अनुभव;	
		(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी	
		का ज्ञान	
5.	सब्जी विशेषज्ञ	(i) किसी मान्यता प्राप्त	पदोन्नति द्वाराः
		विश्वविद्यालय से बागवानी में	·
		द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी;	तकनीकी सहायक के रुप में पांच
		(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी	वर्ष का अनुभव; या उद्यान विकास
		का ज्ञान; या	अधिकारी के रुप में सात वर्ष का
			अनुभव।
		(i) फलोरिकल्चर,	.3
		प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर	स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः
		या सैरीकल्चर विषयों में से	(i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान
		किसी एक विषय सहित	अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्जी
		बागवानी सहित कृषि में बी.	विशेषज्ञ, फल विशेषज्ञ तथा राज्य
		एस.सी. (आनर्स) या	रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष
		बागवानी में बी.एस.सी.	
		डिग्री;	का अनुभव;
		(ii) बागवानी के विकास	(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
		कार्यों का पांच वर्ष का	
		व्यवहारिक अनुभव;	
		(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी	
		का ज्ञान	
6.	पुष्प विशेषज्ञ	(i) किसी मान्यता प्राप्त	पदोन्नति द्वाराः
	3	विश्वविद्यालय से बागवानी में	
		द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी;	तकनीकी सहायक के रुप में पांच
			वर्ष का अनुभव; या उद्यान विकास
		(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी	अधिकारी के रुप में सात वर्ष का
		का ज्ञान; या	अनुभव।
		(i) फलोरिकल्चर,	अपुन्तम् ।
		प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर	स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः
		या सैरीकल्चर विषयों में से	
		किसी एक विषय सहित	(i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान
			अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्जी

7.	राज्य	रेशम	बागवानी सहित कृषि में बी. एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी. डिग्री; (ii) बागवानी के विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	विशेषज्ञ, फल विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। पदोन्नति द्वाराः
	अधिकारी	ריוצי	(1) किसा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; या (i) फलोरिकल्चर, प्रोमिकल्चर, आलैरीकल्चर या सैरीकल्चर विषयों में से किसी एक विषय सहित बागवानी सहित कृषि में बी. एस.सी. (आनर्स) या बागवानी में बी.एस.सी. डिग्री; (ii) बागवानी के विकास कार्यों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	तकनीकी सहायक के रुप में पांच वर्ष का अनुभव या उद्यान विकास अधिकारी के रुप में सात वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वाराः (i) उद्यान अधीक्षक, जिला उद्यान अधिकारी, पुष्प विशेषज्ञ, सब्जी विशेषज्ञ, फल विशेषज्ञ या राज्य रेशम अधिकारी के रुप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

परिशिष्ट ग							
[(देखिए नियम—15(1)]							
कम	पदनाम	नियुक्ति	शास्ति का स्वरुप	शस्ति लगाने	अपील		
संख्या		प्राधिकारी		के लिए सशक्त	प्राधिकारी		
				प्राधिकारी			
1	2	3	4	5	6		
1.	अधीक्षक						
	उद्यान,	सरकार	(1) छोटी शस्तियाः	सरकार			

	यादविन्द्रा		
	बाग, पिंजौर	(i) वैयक्तिक फाईल	
2.	जिला उद्यान		
Z -		(आचरण-पंजी्) पर	
	अधिकारी	प्रति रखते हुए	
3.	उद्यान	चेतावनी;	
	अधीक्षक,		
	किशनपुरा	(ii) परिनिन्दा;	
	(जीन्द)	(11) पारामप्दा;	
_			
4.	फल विशेषज्ञ	(iii) पदोन्नति रोकना;	
5.	सब्जी		
J.	विशेषज्ञ	(iv) आदेशों की उपेक्षा	
6.	पुष्प विशेषज्ञ	या उल्लंघन द्वारा	
7.	राज्य रेशम	केन्द्रीय सरकार या	
' -		ऐसी कंपनी, तथा	
	अधिकारी	व्यष्टि निकाय चाहे वह	
		निगमित हो या नहीं	
		जिसका पूर्ण या	
		अधिकांश स्वामित्व या	
		नियंत्रण सरकार के	
		पास है या संसद या	
		किसी राज्य विधान	
		मण्डल के अधिनियम	
		द्वारा स्थापित किसी	
		स्थानीय प्राधिकरण या	
		विश्वविद्यालय की हुई	
		धन संबंधी हानि की	
		पूरी या उसके भाग को	
		वेतन से वसूली; और	
		(v) संचयी प्रभाव के	
		बिना वेतन वृद्धियां	
		रोकना;	
		(2) बड़ी शस्तियाः	
		1	
		(i) संचयी प्रभाव स	
		वेतन वृद्धियां रोकना;	
		(ii) किसी भी	
		विनिर्दिष्ट अवधि के	
		लिए समयमान में	
		निम्नतर प्रकम पर	
		अवनित ऐसे अतिरिक्त	
		निदेशों सहित कि क्या	
		सरकारी कर्मचारी ऐसी	
		अवनति की अवधि के	
		दौरान वेतन वृद्धिया	
		प्रांत परान वृद्धिया	
		अर्जित करेगा या नहीं	
		और ऐसी अवधि की	
		समाप्ति पर, ऐसी	
	1	, ,	1

अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं: (iii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा: (iv) अनिवार्य सेवा निवृति; (v) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; (vi) सेवा से पदच्यति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।

परिशिष्ट घ [(देखिए नियम—15(2)]

कम	पदनाम	आदेश का स्वरुप	आदेश करने के	अपील प्राधिकारी
संख्या			लिए सशक्त	
			प्राधिकारी	
1	अधीक्षक उद्यान,	(i) पेन्शन के नियंत्रित	सरकार	_
	यादविन्द्रा बाग,	करने वाले नियमों के		
	पिंजौर	अधीन उसे अनुक्षेप		
2	जिला उद्यान	सामान्य/अतिरिक्त पेन्शन		
	अधिकारी	की राशिं में कमीं करने या		
3	उद्यान अधीक्षक,	रोकना; या		
	किशनपुरा			
	(जीन्द)			
4	फल विशेषज्ञ	(ii) उसकी अधिवर्षिता के		
		लिए नियत आयु होने से		
5	सब्जी विशेषज्ञ	पूर्व अन्यथा नियुक्ति की		
		समाप्ति ।		
6	पृष्प विशेषज्ञ			
3	3-1 1451451			

7	राज्य	रेशम		
	अधिकारी			

परिशिष्ट ड्

[(देखिए नियम-13]

विभागीय परीक्षा

1. पाठ्यकमः

- (x) इंटरोडकक्षन टू गर्वनमैन्ट आडिट एवं अकाऊंट अध्यााय 1, 2, 6, 10 से 21
- (xi) पंजाब सिविल सेवाएं, जिल्द I, भाग—I, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15
- (xii) पंजाब सिविल सेवाएं नियम, जिल्द II, अध्याय 1 से 7, 9 से 12, पार्ट-II का चैप्टर 13
- (xiii) पंजाब सिविल सेवाएं, जिल्द III, (इसका पूर्ण भाग)
- (xiv) फाईनैंसियल हैंड बुक नं0 1 खजाना और उप खजाना, एस.टी.आर.I, जिल्द—I (इसका पूर्ण भाग) जिल्द—II, अध्याय 2, 3, 4 (4.1 से 4.81 और 4.168 से 4.181) और अपैंडीज बी. और सी.
- (xv) पंजाब फाईनैंसियल हैंड बुक नं0 2, जिल्द-I, अध्याय 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
- (xvi) पंजाब फाईनैंसियल हैंड बुक नं0 2, जिल्द—II, अपैंडीज 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17 और 19
- (xvii) पंजाब बजट मैन्यूल चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 से 15 और पैराग्राफ 15.5, ए. / सी. कोड वाल्यूम—I, अध्याय 3, 4, 5 और 11

 (i) प्रश्नपत्रों की संख्या
 : एक

 (ii) अधिकतम अंक
 : 120

(iii) उतीर्ण अंक : 40 प्रतिशत (हायर स्टैण्डर्ड)

(iv) स्वीकृत समय : 3 घण्टे

(v) परीक्षा के लिए तिथि तथा समय : जैसे समय-समय पर सरकार

द्वारा निश्चित किया जाये।

नसीम अहमद, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, उद्यान एवं विपणन विभाग।

हरियाणा सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 मार्च, 2004

संख्या सा.का.नि.9/संवि./अनुच्छेद/309/2004—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप—ख) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. ये नियम हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2004, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 में, नियम 9 में, उप—नियम (1) में,—
 - (i) उप—खण्ड (i) में, " $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत" अंको तथा शब्द के स्थान पर, "50 प्रतिशत" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
 - (ii) उप—खण्ड (i) में, '' $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत'' अंको तथा शब्द के स्थान पर, ''50 प्रतिशत'' अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

के0 एस0 भोरिया, सचिव, हरियाणा सरकार, उद्यान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 22nd March, 2004

No. G.S.R. 9/Const./Art. 309/2004.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Horticulture (Group-B) Service Rules, 1998, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Horticulture (Group-B) Service (Amendment) Rules, 2004.
- 2. In the Haryana Horticulture (Group-B) Service Rules, 1998, in rule 9, in sub rule (1),-
 - (i) in sub-clause(i), for the figures and signs "66 $\frac{2}{3}$ %" the figures and signs "50%" shall be substituted; and
 - (ii) in sub-clause(ii), for the figures and signs "33 $\frac{1}{3}$ %" the figures and signs "50%" shall be substituted.

K.S. BHORIA
Secretary to Government Haryana,
Horticulture Department.

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 29th May, 1998

No. G.S.R. 108/Const./Art. 309/98.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Horticultural Directorate (Group B) Service, namely:-

PART1-GENERAL

Short title:

1. These rules may be called the Haryana Horticultural Directorate (Group B) Service Rules, 1998.

Definitions:

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
 - (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
 - (c) "Government "means the Haryana Government in the Administrative Department;
 - (d) "Institution not defined" means,-
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination

held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be recognized university

for the purpose of these rules;

(e) "Service" means Haryana Horticultural Directorate (Group B) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts:

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service:

- 4(1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is :-
 - (f) a citizen of India; or
 - (g) a subject of Nepal; or
 - (h) a subject of Bhutan; or
 - (i) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
 - (j) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanziba), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d), and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No Person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age on or before the last date of submission of application to the Commission or any other recruitment authority.

Appointing authority:

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications:

No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment;

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to full up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications:

8. No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

Shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment:

- 9.(1) Recruitment to the Service shall be made,-
 - (a) In the case of Establishment Officer,-.
 - (i) By promotion from amongst Superintendents; or
- (ii) By transfer or deputation of an officer already in the service of any

 State

Government or Government of India.

Note:- The post of Establishment Officer involves the assumption of duties and responsibilities of greater importance than the post of Superintendent.

- (b) In the case of Superintendent,-
 - (i) By promotion from amongst Deputy Superintendents or Assistants or Senior Scale Stenographers in the office of Director of Horticulture, Haryana; or
 - (ii) By transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or Government of India.

Promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation:

10 (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and on year, if appointed otherwise:

Provided that:-

- (d) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (e) Any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under these rules; and
- (f) any period of officiating appointment shall be reckoned as a period spent on probation, but no reason who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy. if, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-
- (c) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service: and
- (d) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (iii) revert him to his former post; or
- (iv) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of period of probation of a person, the appointing authority may,-
 - (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-
 - (i) Confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy;

or

(ii) Confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

- (iii) Declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if this work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,-
- (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
- (ii) extend his period or probation and there after pass such order as it could have past on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Seniority inter se of the members of the services shall be determined by the length of the continuous service or any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (e) A member appointed by the direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (f) A member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (g) In the case of a member appointed by the promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(h) In the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the order member shall be senior to the younger member.

Liability to Serve:

- 12.(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
 - (2) A member of the Service may also be deputed to serve under,-
 - (i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority of university within the State of Haryana;
 - (ii) The Central Government or a company, an association or a body of individuals, gather incorporated or not which is wholly or substantially or controlled by the Central Government; or
 - (iii) Any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii), except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters:

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to provisions of any law or rules under Article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination:

15. Every member of the service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance:

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation:

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recording in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision:

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations:

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and savings:

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules, is here repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

	APPENDIX-A									
	(See rule 3)									
Sr. No.	Designation of posts	Total	Scale of pay							
	_	Permanent Temporary								
1	2	3	4	5	6					
1.	Establishment Officer	-	1	1	Rs. 6500-200- 8500-EB-200- 10500					
2.	Superintendent	-	3	3	Rs. 6500-200- 8500-EB-200- 10500					

APPENDIX-B (See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment	
1	2	3	4	
1.	Establishment Officer	-	One year experience as Superintendent	
2.	Superintendent	_	(i) One year experience as Deputy Superintendent; or (ii) Ten years experience as Assistant or Senior Scale Stenographer Provided that the Senior Scale Stenographer should have two years experience as Assistant on part time or full time basis.	

APPENDIX-A (See rule 3)

	(See rule 3)									
Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to imposed penalty	Appellate authority					
1	2	3	4	5	6					
1.	Establishment Officer	Government	(1) penalties	Government	-					
2.	Superintendent	Government	(i) Warning with a copy in the personal file (Character Roll)							
			(ii) censure;							
			(iii) Withholding of promotion;							
			(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly							

owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and	
(v) Withholding of increments of pay without cumulative effect;	
(2) Major penalties	
(v-a) withholding of increments of pay with cumulative effect;	
(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of	
	controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and (v) Withholding of increments of pay without cumulative effect; (2) Major penalties (v-a) withholding of increments of pay with cumulative effect; (vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction

such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;	
(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service; (viii)	
compulsory retirement;	

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government. (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.	
which shall not be a disqualification for future employment under the Government. (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the	(ix) removal
be a disqualification for future employment under the Government. (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the	from service
disqualification for future employment under the Government. (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the	which shall not
for future employment under the Government. (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the	be a
employment under the Government. (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the	disqualification
under the Government. (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the	for future
under the Government. (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the	employment
(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the	± •
from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the	Government.
from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the	(x) dismissal
which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the	from service
ordinarily be a disqualification for future employment under the	
disqualification for future employment under the	
for future employment under the	
employment under the	-
under the	
	Government.

APPENDIX-D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to imposed penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Establishment Officer	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible	Government	-
2.	Superintendent	under the rules governing pension; Termination the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		

NASEEM AHMAD,

Commissioner Secretary to Government, Haryana,

Horticulture and Marketing Department

हरियाणा सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अगस्त, 1998

संख्या सा.का.नि.108/संवि./अनुच्छेद/309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान निदेशालय की हरियाणा उद्यानन निदेशालय (ग्रुप—ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

भाग 1-सामान्य

संक्षिप्त नामः

1. ये नियम हरियाणा उद्यान निदेशालय (ग्रुप—ख) सेवा नियम, 1998 कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं:

- 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
- (ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नित या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
- (ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
- (घ) "संस्था" से अभिप्राय है,-
 - (v) हरियाणा में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
 - (vi) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;
- (ड़) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,-
 - (vii) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय; या
 - (viii) 15 अगस्त 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरुप प्राप्त उपाधि—पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण—पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(ix) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो,

भाग II-सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुपः

3. सेवा में इन नियमों परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे:

परन्तु, इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रुप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवार की राष्ट्रिक्ता, अधिवास तथा चरित्रः

- 4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,
- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजा; या
- (घ) तिब्बत या शरणार्थी, जो पहली जनवरी 1962, से पहले भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो; या
- (ड़) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफीका देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आया हो;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ड़) से संबंधित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

- (2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक को, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चिरत्र प्रमाण—पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से उसे भली—भाति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करें।

आयुः

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अथवा उससे पूर्व सत्रह वर्ष से कम और पैंतिस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी अर्हतायें:

- 6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेगी।
- 7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में पूर्वोक्त क परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हतायें तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रुप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों के भरने के लिए अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रुप में कारण दिये जायेंगे।

निर्हतायेंः

- 8. कोई भी व्यक्ति,-
- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या
- (ख) जिसने पति / पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की इस संबंध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंगः

- 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:--
- (क) स्थापना अधिकारी की दशा में,-
 - (i) अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा;

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

टिप्पणी— स्थापना अधिकारी के पद के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व अधीक्षक के पद से अधिक महत्व के हैं।

(ख) अधीक्षक की दशा में,-

- (iv) हरियाणा, उद्यान निदेशालय के कार्यालय में उप—अधीक्षक अथवा सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा; या
- (v) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (2) सभी पदोन्नितयां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नितयों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिविक्षाः

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तू,—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती ही: और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रुप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रुप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,—
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,-
 - (v) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (vi) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार हो।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—
- (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,
 - (vii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी किसी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (viii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (ix) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है;या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,-
 - (v) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्ध तथा शर्ते अनुज्ञात करे।
 - (vi) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिविक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई, है शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग—अलग निश्चित की जायेगीः

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रुप से निश्चित की जायेगी:—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नित या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगाः
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

- (ग) पदोन्नित द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगो, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्वः

- 12. (1) सेवा का कोई सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगी:
- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:-
 - (vii) कोई कंपनी, संगम या व्यांष्टि—निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकारके पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण;
 - (viii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या
 - (ix) कोई अन्य राज्य सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमित के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा। वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामलेः

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिसका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियत्रिंत होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलें:

14. (1) अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगेः

परन्तु ऐसी शस्तियों का स्वरुप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसे शस्तियों लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिदिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम—9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवानाः

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश करें, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राज्य निष्ठा की शपथः

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्धः

- 18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है। आरक्षण
- 19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा, अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्तिः

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में किसी के अनुरुप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:-

परन्तु इस प्रकार से निरिसत नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरुप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

कम संख्या	पदनाम	पद स्थायी	ों की संख्य अस्थायी	या जोड	वेतनमान
- · · ·			• • • • • • • • • • • • • • • • • •	-11 -	
1	2	3	4	5	6
1.	स्थापना अधिकारी		1	1	6500—200—8500—दक्षतारोध—200—10500 रुपये
2.	अधीक्षक		3	3	6500—200—8500—दक्षतारोध—200—10500 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

		, ,	
कम संख्या	पदनाम		सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	स्थापना अधिकारी	_	अधीक्षक के रुप में एक वर्ष का अनुभव;
2	अधीक्षक	_	(i) उप—अधीक्षक के रुप में एक वर्ष का अनुभव, या (ii) सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रुप में 10 वर्ष का अनुभवः

परन्तु वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को सहायक के रुप में दो वर्ष का अंश कालिक या पूर्ण कालिक अनुभव होना चाहिए।

परिशिष्ट ग

[(देखिए नियम-14(1)]

			_		
कम	पदनाम	नियुक्ति	शास्ति का स्वरुप	शस्ति लगाने	अपील
संख्या		प्राधिकारी		के लिए सशक्त	प्राधिकारी
				प्राधिकारी	
1	2	3	4	5	6
1	स्थापना	सरकार	(1) छोटी शस्तियांः	सरकार	
	अधिकारी		, ,		
2			(i) वैयक्तिक फाईल		
	अधीक्षक		(आचरण–पंजी) पर		
			प्रति रखते हुए		
			चेतावनी;		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			(ii) परिनिन्द;		
			(iii) पदोन्नति रोकना;		
			(iv) आदेशों की उपेक्षा		
			या उल्लंघन द्वारा		
			केन्द्रीय सरकार या		
			राज्य सरकार को या		
			ऐसी कंपनी, संगम तथा		
			व्यष्टि निकाय चाहे वह		
			निगमित हो या नहीं		
			जिसका पूर्ण या		
			अधिकांश स्वामित्व या		

नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली;

- (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;
- (2) बड़ी शस्तियांः
- (i) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;
- (ii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रकम पर अवनित ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनित की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं;
- (iii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान,

ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतयाः रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्टता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तीं संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा;

- (iv) अनिवार्य सेवा निवृति;
- (v) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हता नहीं होगी;
- (vi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्हता होगी।

परिशिष्ट घ [(देखिए नियम-14(2)] आदेश का स्वरुप आदेश करने के अपील प्राधिकारी पदनाम कम संख्या लिए सशक्त प्राधिकारी (i) पैंशन को नियंत्रित स्थापना सरकार 1 अधिकारी करने वाले नियमों के 2 अधीन अनुज्ञेय अधीक्षक सामान्य / अतिरिक्त पैंशन को राशि में कमी करने या रोकना: (ii) उसकी अधिवर्तिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।

नसीम अहमद, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, उद्यान एवं विपणन विभाग।

हरियाणा सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 मार्च, 2004

संख्या सा.का.नि.9/संवि./अनुच्छेद/309/2004—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप—ख) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 3. ये नियम हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2004, कहे जा सकते हैं।
- 4. हरियाणा उद्यान विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 में, नियम 9 में, उप—नियम (1) में,—
 - (iii) उप—खण्ड (i) में, " $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत" अंका तथा शब्द के स्थान पर, "50 प्रतिशत" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
 - (iv) उप—खण्ड (i) में, '' $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत'' अंको तथा शब्द के स्थान पर, ''50 प्रतिशत'' अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

के0 एस0 भोरिया, सचिव, हरियाणा सरकार, उद्यान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HORTICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 22nd March, 2004

No. G.S.R. 9/Const./Art. 309/2004.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Horticulture (Group-B) Service Rules, 1998, namely:-

- 3. These rules may be called the Haryana Horticulture (Group-B) Service (Amendment) Rules, 2004.
- 4. In the Haryana Horticulture (Group-B) Service Rules, 1998, in rule 9, in sub rule (1),-
 - (iii) in sub-clause(i), for the figures and signs "66 $\frac{2}{3}$ %" the figures and signs "50%" shall be substituted; and
 - (iv) in sub-clause(ii), for the figures and signs "33 $\frac{1}{3}$ %" the figures and signs "50%" shall be substituted.

K.S. BHORIA

Secretary to Government Haryana, Horticulture Department.